


22/12/25

उपरोक्त पत्र उपा. बापपुर आदेश लक्षणा प्रस्तुत की
गिया है। लक्षणा अथवा ये पत्रावली इसी स्तर पर खारिज
की जाती है। नंबर से मस हो।

आदेश सुभाष गान्ध


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GICMS
2023/235

